

डिगरी व मुकदमे इत्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ

ब इजलास डॉ. शाकीसिए भाटी सलामत कलक्टर (R.A.S.) देवगढ

(1) डॉ. नाथूसिए पिता बनाम (2) डॉ. कल्याणसिए पिता मोटसिए शवत नि. कामला
रामसिए शवत नि. कामला दावा अन्तर्गत धारा 88-89-S.R.T.A.
 मुकदमा नं. 73/13 देवगढ सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि
वादीगण 5 खेत व बूटो की धरम जो धरम कामला
में स्थित है ख. नं. 975 रकबा 2.05 बीघा है इस
धरम का 0.04 बीघा क्षेत्र ख. कल्याणसिए पिता शरम कामला
में जो नं. 1015 रकबा मुकला 4.05 बीघा बसत गलतगामीए

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर

फीसदी सालना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक

का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख

14 मास 03 सन् 2019

की जारी की गई।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला-राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै०	मुद्दायला	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजी दावा	3 =	00	स्टाम्प वकालतनामा	}	
स्टाम्प वकालतनामा	5 =	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	}		महनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			31 =		
मीजान	39 =	00	मीजान	-nil-	

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(१) श्री गैरुसिए पिता रामसिए नि. कामणी

— कडेगढ

- (1/1) श्री मोरुसिए पिता कल्याणसिए रावत नि. कामणी
(1/2) " भोजसिए पिता कल्याणसिए " " "
(1/3) " मंगूसिए (मंगलसिए) पिता कल्याणसिए " " "
(1/4) श्रीमती पुत्री कल्याणसिए रावत नि. जस्सारवे
(उरिया) तह. भोम

- (२) श्री वेमासिए पिता कल्याणसिए रावत नि. कामणी
(३) " भगवानसिए पिता भीमासिए " " "
(४) " वन्नासिए पिता भीमासिए " " "
(५) श्रीमती शान्ति बेवा भीमासिए " " "
(६) श्री विश्वसिए पिता फुलासिए " " "
(७) " देवीसिए पिता फुलासिए " " "

— प्रतिवाहीगढ

२/१०
सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द